न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, गया

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -1658/2026

एम.यू. थाना काण्ड संख्या–99/2026

पीठासीन पदाधिकारी– राजेश सिंह

1.रामवतार मांझी उर्फ पंकज कुमार मांझी, उम्र–33 वर्ष, पिता–गनौरी मांझी उर्फ गणेश मांझी
2. प्रमोद मांझी, उम्र–38 वर्ष, पिता–नन्हक मांझी
3. ब्रजेश मांझी, उम्र–32 वर्ष, पिता–स्व0 जानकी मांझी
4. राकेश कुमार, उम्र–20 वर्ष, पिता– बिरजु मांझी
5. शिवचरण मांझी उर्फ शिवचरण कुमार, उम्र–24 वर्ष, पिता– अनिल मांझी
6.बब्लु कुमार उर्फ डबलु कुमार, उम्र–30 वर्ष, पिता–सुखदेव मांझी
7.मुर्गन कुमार उर्फ चंदन कुमार, उम्र–26 वर्ष, पिता–कुलेश्वर मांझी
8.मटुक कुमार, उम्र–20 वर्ष, पिता–स्व0 रामवृक्ष मांझी
9.मंजु देवी, उम्र–44 वर्ष, पति–मटुक मांझी
10.विक्की कुमार, उम्र–21 वर्ष, पिता–बरत मांझी उर्फ रनबरत मांझी
सभी निवासी– परसावां, थाना–एम.यू. बोधगया, जिला–गया

–––––अभियुक्तगण

बनाम

बिहार सरकार –––––– ––अभियोजन

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता –श्री कपिलदेव प्रसाद

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक–श्री मदन मोहन शर्मा

09.06.2026 आवेदक /अभियुक्तगण की ओर से एम.यू. थाना काण्ड संख्या–99/2026 अन्तर्गत धारा– 191(2), 191(3), 190, 115(2), 118(1), 117(2), 118(2), 110, 74 बी0एन0एस0 में प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्ष को सुना।

आदेश

अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कहना कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्हें झूॅठे मामला में फंसाया गया है। इन्होनें कोई अपराध कारित नहीं किया है। इसके पूर्व आवेदकगण की ओर से कोई अन्य जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना या अन्य किसी वरीय न्यायालय में संस्थित नहीं किया है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कथित घटना कपोल–कल्पित एवं मनगढन्त है। इस झूॅठे वाद में हम लोगों को गिरफ्तारी की आशंका है। हम लोग समुचित बंध–पत्र देने को तैयार है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि हम लोगों को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाय।

न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, गया

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -1658/2026</u>

विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित हुए। उनका कहना है कि अभियुक्तों को अग्रिम जमानत नहीं दी जाय, क्योंकि इन लोगों ने अजमानतीय अपराध कारित किया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण पर आरोप है कि उन्होंने दिनांक–03.03.2026 को बकड़ी चराने के विवाद को लेकर के शंकर मांझी, महेन्द्र मांझी, सतीश मांझी, परशुराम मांझी को मारकर जख्मी कर दिया। जख्म प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि महेन्द्र मांझी, शंकर मांझी, सुरती देवी एवं सतीश मांझी को कारित उपहति साधारण प्रकृति की है। अभियुक्तगण पर विशिष्ट रूप से उपहति कारित करने का अरोप नहीं है। इसलिये अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने में पश्चात इनके अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार इस आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अभियुक्त द्वारा निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर उन्हें 10,000/–रुपये के दो समान राशि के जमानतदारों द्वारा बंध–पत्र दाखिल करने पर धारा –482(2) बी0एन0एस0एस0 का अनुपालन करने पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने आदेश दिया जाता है।

लेखापित
Sd/-
राजेश सिंह
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– II,
गया